तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2175 / 2003 / नागौर सरकार बनाम हिमताराम धर्मादास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अभिभाषक।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 18–11–2025

निर्णय

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 27–07–2000 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार लाडनूँ ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि ग्राम खोखरी की जमाबंदी 2000 में ख0नं0 244 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह बएतमाम सालगराम ने चेनाराम ने राधाकृष्ण ने धर्मदास बेटा हुकमदास रा जात साद निवासी खोखरी 1/2 खुदकाश्त दर्ज है। उपरोक्त मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि को बिना वैद्य कारण के भू–प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2022 में मिसल बंदोबस्त में मंदिर खुदकाश्त का नाम हटाकर ख0नं0 (नए) 303 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा मोहनदास वल्द धर्मदास कौम साद साकिन खोखरी दर्ज कर दी गई है। भगवान की मूर्ति कानून में नाबाबिग माना गया है, नाबालिग की भूमि पर उपरोक्त वर्णित खातेदारी को भू–प्रबंधक विभाग द्वारा दी गई है। नमांतकरण संख्या 32 के तहत बंटवारा होने पर ख0नं0 303 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2175 / 2003 / नागौर सरकार बनाम हिमताराम धर्मादास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हिम्मतदास पुत्र धर्मदास कौम साद साकिन खोखरी तहसील लाडनूँ दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबन्दी 2055 से 2058 ख0नं0 303 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा अप्रार्थी हिम्मदास पुत्र धर्मदास के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जिसे वापस मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मो0 इकबाल, सरीफ खॉ, हाकमअली ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी को बार–बार जवाब हेतु अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 32 अवैधानिक क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में दर्ज किए गए खातेदारी अधिकारों को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार इस प्रकार कि ग्राम खोखरी की जमाबंदी 2000 में ख0नं0 244 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह बएतमाम सालगराम ने चेनाराम ने राधाकृष्ण ने धर्मदास बेटा हुकमदास रा जात साद निवासी खोखरी 1 / 2 खुदकाश्त दर्ज है। उपरोक्त मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि को बिना वैद्य कारण के भू–प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2022 में मिसल बंदोबस्त में मंदिर खुदकाश्त का नाम हटाकर ख0नं0 (नए) 303 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2175 / 2003 / नागौर सरकार बनाम हिमताराम धर्मादास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मोहनदास वल्द धर्मदास कौम साद साकिन खोखरी दर्ज कर दी गई है। उक्त माफी मंदिर की आराजी का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला कलेक्टर ने रिकोर्ड का पूर्ण परीक्षण कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2175 / 2003 / नागौर सरकार बनाम हिमताराम धर्मादास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम खोखरी की जमाबंदी 2000 में ख0नं0 244 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह बएतमाम सालगराम ने चेनाराम ने राधाकृष्ण ने धर्मदास बेटा हुकमदास रा जात साद निवासी खोखरी 1 / 2 खुदकाश्त दर्ज है। उपरोक्त मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि को बिना वैद्य कारण के भू–प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2022 में मिसल बंदोबस्त में मंदिर खुदकाश्त का नाम हटाकर ख0नं0 (नए) 303 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा मोहनदास वल्द धर्मदास कौम साद साकिन खोखरी दर्ज कर दी गई को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी को पुनः डोली बनाम मन्दिर श्री सीतारामजी जी वाके देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 2175 / 2003 / नागौर सरकार बनाम हिमताराम धर्मादास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए